संख्या-394/2024/600/22-2-2023-17(1176)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर 2024

विषयः- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शकील पुत्र श्री सराजूदीन, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शकील पुत्र श्री सराजूदीन, खोजा नंगला, थाना-छपार, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 07-12-2011 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुमारी महविश जहां (उम्र साढे चार वर्ष) का अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-568/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364,201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-17 मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 05-03-2021 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23-02-2022 तक 01 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 07 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

सिद्धदोष बन्दी शकील पुत्र श्री सराजूदीन की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं बन्दी द्वारा अपरिहार 01 वर्ष 06 माह 28 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष 07 माह 25 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शकील (बन्दी संख्या-9161/2021) पुत्र श्री सराजूदीन, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-394/2024/600(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।